2. कार्यशाला में आयोजित सत्रवार चर्चा का विवरण : दो दिवसीय ''राष्ट्रीय न्यूनतम् मजदूरी नीति'' कार्यशाला के उद्घाटन समारोह के बाद प्रत्येक सत्र सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, प्रबुद्ध नागरिकों तथा विद्वानों की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यशाला के प्रारम्भ से समापन तक प्रतिभागियों ने ''न्यूनतम् मजदूरी नीति'' विषय पर पूरी रूचि लेते हुए अपने–अपने विचार व्यक्त किए तथा प्रतिभागियों द्वारा कार्यशाला के उद्देश्य को पूर्ण करने का पूर्ण प्रयास किया गया। इस प्रकार आयोजित कार्यशाला में प्रस्तावित सत्रानुसार जो चर्चा की गई उसका विवरण निम्नलिखित है–

2.1 प्रथम सत्र :

''राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम् मजदूरी निर्धारण एवं केन्द्र व राज्य सरकार की न्यूनतम् मजदूरी में सम्बंध''

प्रथम सत्र एस0टी0एस0सी0 आयोग के पूर्व आयुक्त व भारत जन आन्दोलन के अध्यक्ष–डॉ0 बी0डी0 शर्मा को अध्यक्षता में प्रारम्भ हुआ। बंधुआ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष स्वामी अग्निवेश ने कार्यशाला में शामिल हुए प्रतिभागियों से निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा करने के लिए आग्रह किया–

- **न्यूनतम् मजदूरी, उचित मजदूरी एवं तनख्वाह (वेतन)**
- **न्यूनतम् मजदूरी का मानदण्ड आधारभूत आवश्यकताओं के अनुसार**
- **इक्विटी एवं समावेशी ग्रोथ**
- **उद्योग क्षमता –भुगतान**
- **अन्तर्राज्य प्रवास**
- **मुद्रास्फिति सूचीकरण–एक वजन**
- **एस0ओ0आर0एस0 के लिए पीस रेट वर्क**

प्रत्येक प्रतिभागी की न्यूनतम् मजदूरी के मद्दे पर जो राय थी वह अपने–अपने कथनानुसार न्यूनतम् मजदूरी निर्धारण में सहायक सिद्ध हुई। डॉ0 बी0 डी0 शर्मा ने न्यूनतम् मजद्री, मौसमी मजद्री तथा दैनिक मजदूरी पर प्रकाश डाला। इसी क्रम में डॉ0 बी0 डी0 शर्मा ने कहा कि–बोल मेरे यार मेरे काम का दाम क्या है ? इस कथन को सुनकर

कार्यशाला में उपस्थित सभी लोगों ने अपनी सहमति प्रकट की। इस प्रकार डॉ0 बी0 डी0 शर्मा ने न्यूनतम् मजदूरी के निर्धारण पर अपने अनुभवपूर्ण विचार व्यक्त किये।

स्वामी अग्निवेश ने किसान को निपुण मजदूर कि श्रेणी में रखते हुए बताया कि मजदूरों एवं किसानों के बीच जो क्लास वार (वर्ग युद्ध) हो रहा है, वह नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम यदि सरकार किसानों की हालत सुधारती है तो मजदूरों की हालत भी स्वतः सुधरेगी। सरकार को खेती के क्षेत्र में और भी विकास करना चाहिए, इसी आधार पर देश का विकास होगा। हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा एवं मजदूरी की सुरक्षा मिलना बहुत आवश्यक है।

"डॉ0 बी0डी0 शर्मा व स्वामी अग्निवेश प्रतिभगियों से चर्चा करते हुये"

कई प्रतिभागियों ने बताया कि न्यूनतम् मजदूरी का मानदण्ड मजदूर की आधारभूत आवश्यकताओं के अनुसार हो, न कि निपुणताओं के आधार पर। मुद्रास्फिति सूचीकरण पर भी कई प्रतिभागियों ने अपने विचार रखें।

न्यूनतम् मजदूरी के निर्धारण पर एम0के0एस0एस0 के सामाजिक कार्यकर्ता–श्री शंकर सिंह रावत एवं अर्थशास्त्र के कई ज्ञाताओं ने पावर पोईन्ट प्रजेन्टेशन प्रस्तुत करते हुए बताया कि देश में मजदूरी बढ़ी तो किस वर्ग की मजदूरो और कितनी बढ़ी, सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते, सरकारी छुट्यिों, रिटायरमेन्ट के लाभ, महंगाई की मार और मनरेगा में दैनिक मजदूरी आदि के तथ्यात्मक व संख्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत किये। इसी क्रम में न्यूनतम् मजदूरी के निर्धारण के लिए न्यूनतम् मजदूरी का मानदण्ड किस प्रकार होना चाहिए इसे पावर पोईन्ट प्रजेन्टेशन द्वारा प्रस्तुत कर बताया गया कि एक कमाने वाले के लिए तीन consumption yard यूनिट, 2700 कैलोरी प्रति व्यक्ति के लिए भोजन, कपड़े की आवश्यकता 72 गज प्रति वर्ष प्रति परिवार, सरकार के हाउसिंग योजना के अनुसार कमरा किराया तथा ईंधन, बिजली एवं अन्य खर्च हेतू कुल न्यूनतम् मजदूरी का 20 प्रतिशत होना चाहिए और हमारी अर्थव्यवस्था भी वेज ग्रोथ होनी चाहिए।

केन्द्र व राज्य सरकार के न्यूनतम् मजदूरी के सम्बन्ध में कई प्रतिभागियों ने बताया कि केन्द्र सरकार राज्य को पूर्ण रूप से राशि प्रेषित नहीं करती है तथा राज्य सरकार के द्वारा

तय की गई न्यूनतम् मजदूरी को भी केन्द्र सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है यह सरासर बेईमानी है। सरकार द्वारा ही मनरेगा योजना को बनाया गया है। मनरेगा का प्रत्येक श्रमिक सरकारी कर्मचारी है, फिर भी मनरेगा के अन्तर्गत न्यूनतम् मजदूरी पाने के लिए श्रमिकों को तरसना पड़ रहा है। कई मुख्यमंत्रियों ने तो न्यूनतम् मजदूरी के मुद्दे पर पहल शुरू कर दी है, किन्तु केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रतिक्षा कर रही है। आम मजदूर का केन्द्र व राज्य सरकार की अनदेखी के कुचक्र में शोषण किया जा रहा है। सरकार को मनरेगा में न्यूनतम् मजद्री अधिनियम कका सख्ती से पालन करना चाहिए नहीं तो, सरकार को भी कानून तोड़ने की सजा मिलनी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के वेतन के बारे में वेतन आयोग बैठक में चर्चा करके निर्णय लेता है कि उनका वेतन कितना होना चाहिए किन्तु आम मजदूर को पशु से भी नीचे के स्तर का माना जा रहा है। मजदूर के वेतन के लिए सरकार को कोई चिन्ता नहीं है। मजदूर के वेतन हेतू कोई आयोग नहीं बैठता और न ही कोई विचार करता है। केन्द्र व राज्य सरकार के मतों में इतना अन्तर है कि दोनों भारत की ही सरकारें होने पर भी न्यूनतम् मजदूरी के मुद्दे को एक दूसरे को न समझा पा रही ह और न समझ पा रही ह फिर आम मजदूर के बारे में सरकार से क्या आशा की जा सकती है। इसी प्रकार अन्तर्राज्य प्रवास मजदूरों के वेतन पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

स्वामी अग्निवेश के कथनानुसार सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के वेतन के बराबर न्यूनतम् मजदूरी होनी चाहिए, इस प्रस्ताव पर सभी प्रतिभागियों ने सहमति दी।

''डॉ0 बी0डी0 शर्मा व स्वामी अग्निवेश न्यूनतम् मजदूरी के निर्धारण पर प्रतिभागियों से सुझाव लेते हुए''

2.2 द्वितीय सत्र :

न्यूनतम् मजदूरी का क्रियान्वयन एवं प्रवर्तन

(फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूर एवं प्रवर्तनकारी मशीनरी)

द्वितीय सत्र श्री कौशिक बासु (Chief Economic Advisor-वित्त मंत्रालय, भारत सरकार) की अध्यक्षता में ''न्यूनतम् मजदूरी अधिनियम के क्रियान्वयन एवं प्रवर्तन'' पर प्रारम्भ हुआ।

द्वितीय सत्र के प्रारम्भ मं सर्वप्रथम श्री शंकर सिंह रावत, सामाजिक कार्यकर्ता–एम0के0एस0एस0 को टीम ने न्यूनतम् मजदूरी अधिनियम की अनुपालना को समूहगान के रूप में प्रस्तुत करते हुए अपने विचारों को व्यक्त किया।

श्री कौशिक बासु ने कहा कि आप सभी मिलकर न्यूनतम् मजदूरी बढ़वाने की बात कर रहे हैं, इससे सरकार के समक्ष आर्थिक दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं जिससे बचने के लिए सरकारी व निजी संस्थान कामगारों की अपेक्षा मशीनों को प्राथमिकता देने की ओर अग्रसर हो सकते हैं इससे एक और समस्या उत्पन्न हो जाऐगी। जिससे लोगों को रोजगार के अवसरों से वंचित रहना पड़ेगा। इससे आपको एक और लड़ाई बेरोजगारों को रोजगाार उपलब्ध करवाने हेतू लड़नी पड़ेगी। इसी क्रम में श्री कौशिक बासु ने मजदूरों के लिए डायरेक्ट केश ट्रान्सफर करने का भी सुभाव रखा। परन्तु कई प्रतिभागियों ने डायरेक्ट केश ट्रान्सफर के सुझाव को मजदूरों के लिय अनुचित ठहराया एवं मजदूरों के लिए इस सुझाव को आत्म हत्या का मार्ग बताया।

''न्यूनततम् मजदूरी के क्रियान्वयन/प्रवर्तन पर विचार रखते हुए श्री कौशिक बासु''

इसी सम्बन्ध में चर्चा करते हुए स्वामी अग्निवेश ने कहा कि इस कार्यशाला में चल रहे विचार मंथन रूपी चर्चा से यह तय होना चाहिए कि प्रत्येक गरीब मजदूर को **MNREGA** के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी मिले। सरकार और कोर्ट चाहे इस बात को मानें या नहीं मान, हमें इस विषय पर कोई समझोता नही करना है, बल्कि हमें मिलकर संघर्ष करना होगा। यदि कोर्ट आदेश पारित नहीं करती है तो हमें सोचना होगा कि हम इस विषय पर आगे क्या

करें। इसके पश्चात् कई प्रतिभागियों ने क्रमानुसार अपने–अपने विचार व्यक्त किये जो इस प्रकार है–

- MNREGA के अन्तर्गत न्यूनतम् मजदूरी को लागू करने हेतू इसे जेन्डर का भी मद्दा बनाकर बात की जानी चाहिए, क्यों कि MNREGA में 60 प्रतिशत महिला मजदूर कार्यरत हैं।

- NCLP की जो रणनीतियां है वे बड़े स्तर पर उपयोग में ली जा सकती हैं।

- स्वामी आर्यवेश ने बताया कि MNREGA के अन्तर्गत सरकार यदि पूरे देश में न्यूनतम् मजदूरी अधिनियम को लागू नहीं करती है तो सभी गैर सरकारी संगठनों को एक मंच पर आकर दिल्ली में संसद का घेराव करना होगा। तभी प्रत्येक मजदूर को समान रूप से न्यूनतम् मजदूरी का अधिकार प्राप्त होगा। न्यूनतम् मजदूरी अधिनियम के क्रियान्वयन की मांग को लेकर तथा देश के मजदूरों को संगठित करके एक आन्दोलन करना चाहिए तभी न्यूनतम् मजदूरी अधिनियम के क्रियान्वयन का सपना साकार हो सकता है। अन्यथा सरकार की कान पर जूं रेंगना भी मुश्किल है क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं है कि मजदूरों को उनका न्यूनतम् मजदूरी का अधिकार मिले।

- मजदूरों को शिविरों के माध्यम से न्यूनतम् मजदूरी के मुद्दे पर जागरुक बनाया जावें एवं Multiple Strategies उपयोग में ली जानी चाहिए।

- मजदूरों के वेलफेयर के लिए कार्यरत् सभी स्वयं सेवी संगठनों का नेटवर्क तैयार करके न्यूनतम् मजदूरी के अधिकार के लिए आन्दोलन चलाया जाना चाहिए।

- कई प्रतिभागियों ने अपने–अपने संगठन द्वारा असंगठित मजदूरों के अधिकार के लिए किये गए संघर्ष को संक्षिप्त रुप में प्रस्तुत करते हुए न्यूनतम् मजदूरी को पूरे देश में लागू करने हेतू समर्थन दिया।

जागृत महिला संगठन एवं संकल्प संस्थान के प्रयास से राजस्थान से मुक्त करवाये जा चुके तीन बंधुआ मजदूरों ने अपने बंधुआ जीवन एवं एक मजदूर द्वारा मजदूरी प्राप्त करने की व्यथा को केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किया। इसी प्रकार MNREGA के अन्तर्गत कार्यरत् मजदूरों ने प्रतिदिन 96 पैसे की मजदूरी पर किये गए कार्य का वृतान्त सुनाते हुए संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये। इस सनसनीखेज रहस्योदघाटन से सभी हैरत में पड़ गये।

सामाजिक कार्यकर्ता–श्री सुभाष भटनागर एवं बंधुआ मुक्ति मोर्चा के महामंत्री–प्रो0 श्योताज सिंह ने क्रमशः निर्माण संगठन एवं बंधुआ मुक्ति मोर्चा द्वारा किये गए प्रयास पर प्रकाश डालते हुए ''फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूर एवं प्रवर्तनकारी मशीनरी'' के विषय पर तथ्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कार्यशाला के प्रतिभागियों को न्यनतम् मजदूरी अधिनियम के क्रियान्वयन हेतू आन्दोलन प्रारम्भ करने की अपील की तथा प्रो0 श्योताज सिंह ने बताया कि कानून बन जाने मात्र से काम नहीं चलेगा बल्कि कानूनों के क्रियान्वयन से मजदूर वर्ग को लाभ मिल सकेगा।

''न्यूनतम् मजदूरी के क्रियान्वयन/प्रवर्तन पर विचार रखते हुए प्रतिभागीगण एवं एम0के0एस0एस0 के कार्यकर्ताओं द्वारा संगीत के माध्यम से जन जाबरणमय प्रस्तुती देते हुए''

इस प्रकार ''न्यूनतम् मजदूरी का क्रियान्वयन एवं प्रवर्तन'' विषय पर बहुत गम्भीर` चर्चा की गई एवं अलग–अलग प्रकार के सुझावों को संचालनकर्ता द्वारा संकलित किया गया। सत्र का समापन समूह गान के साथ हुआ।

द्वितीय दिन (19 जनवरी, 2011)

2.3 तृतीय सत्र :

न्यूनतम् मजदूरी : राज्य की भूमिका एवं बाजार

''प्रथम चित्र में कार्यशाला में चर्चा करते हुये स्वामी अग्निवेश, प्रो0 मोहन गोपाल, प्रो0 जांद्रेज, सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश–जे0एस0 वर्मा, द्वितीय चित्र में स्वामी आर्यवेश एवं श्रीमती एन्नी राजा सहित अन्य प्रतिभागीगण''

दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जे0एस0 वर्मा की अध्यक्षता में कार्यशाला के तृतीय सत्र का शुभारम्भ ''राज्य की भूमिका एवं बाजार'' विषय से हुआ। पूर्व मुख्य न्यायाधीश–श्री जे0एस0 वर्मा ने कार्यशाला में कहा कि भारतीय संविधान के आर्टीकल–21 लाईफ विद डिगनिटी, आर्टीकल–23–24 डिगनिटी आफ द इन्ड्विज्युल, आर्टीकल–43–लिविंग वेज, आर्टीकल–38 डायरैक्टिव प्रिंसीपल, आर्टीकल–39 राईट टू एज्युकेट विद लाईवलीहूड सहित कई अन्य धाराओं के चलते न्यूनतम् मजदूरी तक भी मेहनत करने वाले मजदूर को नही मिलती तो, न केवल यह अमानवीय व्यवहार है बल्कि असंवैधानिक भी है। यदि कोई कानून भी न्यूनतम् मजदूरी नहीं देने कि बात करता है तो वो भी त्रुटिपूर्ण और असंवैधानिक है इसलिए न्यूनतम् मजदूरी अधिनियम को मनरेगा में लागू करना अनिवार्य है। कोर्ट को पावर (अधिकार) है कि वे जनहित हेतू अपनी तरफ से भी कानूनी रुप से केस दायर कर सकती है, किन्तु कोई भी सरकारी कर्मचारी न्यूनतम् मजदूरी अधिनियम के क्रियान्वयन की मंशा व चाहना भी नही रखता है।

प्रोफेसर मोहन गोपाल, निदेशक–ज्युडिशियल अकेडेमी, भोपाल ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी मजदूर का मौलिक अधिकार है। प्रत्येक मजदूर को जीने का अधिकार है। जीन के लिए न्यूनतम मजदूरी आवयश्क है और सरकार यदि उस अंतिम व्यक्ति से जो समाज के

अंतिम पायदान पर जीवन यापन कर रहा है, यह अधिकार छीनती है तो यह स्पष्टतया असंवैधानिक है। कानून को तोड़ने वाला अपराधी माना जाता है और न्यायपालिका अपराधी को सजा देती है। आज सरकार स्वयं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को तोड़ने की अपराधी है अतः सरकार को भी सजा मिलनी चाहिए।

इसी क्रम में प्रो0 मोहन गोपाल (ज्युडिशियल अकेडमी, भोपाल) ने कहा कि सरकार व सत्ता के लिए मूल्य आधारित बाजार नहीं है। इसके लिए हमारी आजादी की जो लड़ाई लड़ी गई और उसके जो मूल्य थे वो ही मूल्य हमारे भी होने चाहियें। ये पांच मूल्य इस प्रकार हैं–सत्य, अहिंसा, स्वराज, अन्त्योदय एवं सर्वोदय। आजादी को जो लड़ाई लड़ी गई वो अन्त्योदय एवं सर्वोदय के मूल्यों पर आधारित थी। बाजार हमारे मूल्यों को तय नहीं कर सकता ह। बाजार तो केवल लेन–देन तय कर सकता है। सरकार व सत्ता का पूर्ण दायित्व है कि वो न केवल इन पांचों मूल्यों की रक्षा करे बल्कि उनको क्रियान्वित करें। यह नहीं होना चाहिए कि सरकार इन मूल्यों को घटाने का प्रयास करे। मौलिक अधिकारों में से अनुच्छेद 21–इज्जत/सम्मान के साथ जीने का अधिकार, अनुच्छेद–23 जिसके अन्तर्गत बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को यदि न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती तो वह बंधुआ मजदूर को श्रेणी में आता है। अनुच्छेद–14 जिसके अन्तर्गत समानता के अधिकार को बात कही गई है, किन्तु राज्य कि न्यूनतम मजदूरी अधिक है और मनरेगा में कार्य करने वाला सरकारी मजदूर न्यूनतम मजदूरी से कम रेट पर कार्य कर रहा है इसलिए समानता के अधिकार का भी हनन हो रहा है। न्यूनतम मजदूरी सारे देश में एक हो और वह जीवन जीने के आधार पर होनी चाहिए।

वी0वी0 गिरि नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट के पूर्व प्राध्यापक श्री अशोक खंडेलवाल ने बताया कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में मजदूरी को तय करने की सैद्धांतिकी के बाबत संशोधन की जरुरत है। फिलहाल इसमें न्यूनतम मजदूरी के पुनरावलोकन को अनिवार्य नहीं माना गया है और अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी भी अनिवार्य नहीं मानी गई है परन्तु न्यूनतम मजदूरी घरेलू नौकरों सहित प्रत्येक तरह के रोजगार में लगे लोगों के लिए सुनिश्चित होनी चाहियें। उक्त अधिनियम में न्यूनतम मजदूरी को मुद्रास्फीति से भी जोड़ने के प्रावधान होने चाहिए। इस प्रकार ''न्यूनतम् मजदूरी पर राज्य की भूमिका एवं बाजार'' विषय पर अपने अनुभवी विचार व्यक्त करते हुए कई सुझाव दिये गए।

''न्यूनतम् मजदूरी पर राज्य की भूमिका एवं बाजार'' के सन्दर्भ में कई प्रतियोगियों ने अपने–अपने अनुभवों को कार्यशाला की चर्चा में रखते हुए सरकार की ''न्यूनतम् मजदूरी'' पर

दोहरी नीति अपनाने का कड़ा विरोध किया एवं सरकार को दोषी ठहराया जो स्वयं असंवैधानिक वक्तव्य प्रस्तुत कर रही है। इसी क्रम में बाजार को न्यूनतम मजदूरी से बिल्कुल भिन्न बताया गया क्यों कि बाजार बढ़ता–घटता रहता है और केवल क्रय–विक्रय पर आधारित है।

2.4 चतुर्थ सत्र :

"स्टेट इज एम्प्लायर–डायरेक्टली एण्ड थ्रू कोन्ट्रेक्टर्स"

कार्यशाला में "स्टेट इज एम्प्लोयर–डायरेक्टली एण्ड थ्रू कोन्ट्रेक्टर्स" के मुद्दे पर प्रतिभागियों से चर्चा करते श्रीमती एन्नी राजा, प्रो0 के0 बी0 सक्सेना एवं सुश्री मेधा पाटकर, श्री जे0एस0 वर्मा एवं प्रो0 जेन्द्रेज

प्रोफेसर के0 बी0 सक्सेना, पूर्व सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में कार्यशाला के चतुर्थ सत्र का शुभारम्भ "स्टेट इज एम्प्लायर–डायरेक्टली एण्ड थ्रू कोन्ट्रेक्टर्स" विषय से हुआ।

इस सत्र में प्रो0 जां द्रेज (सदस्य–राष्ट्रीय सलाहकार समिति) ने कहा कि पिछले दिनों मोडिया और बिजनेस कम्यूनिटो ने लगातार मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी को कम करने का प्रयास किया है। इस प्रकार के अपराध तो प्राईवेट व बिजनेस कम्पनियां करती थी वो काम अब सरकार ने अपने हाथ में ले लिया हैं। मनरेगा में लगातार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर एक ट्रेड यूनियन बननी चाहिए जो न्यूनतम मजदूरी की लड़ाई के साथ अन्य श्रम अधिकारों की रक्षा के लिए भी संघर्ष करे।

श्रीमती एन्नी राजा ने कहा कि मनरेगा की योजना आने के बाद न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का प्रचार–प्रसार हुआ है। श्रीमती एन्नी राजा ने खुले आम प्रधानमंत्री की नीतियों

पर कटाक्ष करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री चाहते ही नहीं हैं कि देश में से बंधुआ मजदूरी खत्म हो। मनरेगा में लगभग 58 प्रतिशत से अधिक महिलाएं और लगभग 42 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति का वर्ग है, जिससे सरकार उनको प्रोटेक्ट करना ही नहीं चाहती ह। मनरेगा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम जोड़कर उनको भी गुलाम बना दिया है क्योंकि जिस सरकारी स्कीम में संविधान के कानूनों का उल्लंघन हो वो संवैधानिक रूप से सही व श्रेष्ठ योजना कैसे हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि मनरेगा में न्यूनतम् मजदूरी कम मिले तो यह गलत नहो हैं और यदि किसी को प्रोटेक्ट करना है तो अपने घर में बैठ कर करे, आस–पास के पार्कों में भी स्वतन्त्रतापूर्वक उक्त विषय पर बात नहीं की जा सकती है। इस प्रकार आम जनता को बंधुआ बना दिया गया हैं। किसी भी स्थान पर कोई भी नागरिक स्वतन्त्रतापूर्वक बात और अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकता हैं। स्टेट ने नागरिकों को कहीं भी जगह नही दे रखी है कि एक आम आदमी अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतू लड़ाई लड़ सके। हम फिर से गुलाम बनाये जा रहे है।

श्रीमती अमरजीत कौर (एटक) ने प्रत्यक्ष रूप से कहा कि आन्दोलन व संघर्ष के अलावा हमारे पास और कोई चारा नही हैं। व्यवस्था को परिवर्तित करन के लिए हमारा संघर्ष इन घिसी–पिटी व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने कि दिशा में ही होना चाहिए। एक ऐसा ट्रेन्ड आ गया है जो खतरनाक है और वह है–हमारी सत्ता, जो संविधान को लागू करने के बजाय रिग्रेशन कि ओर जा रही है। सरकार द्वारा कार्य का कार्य नहीं समझा जाता है क्योंकि कार्य को यदि कार्य माने तो कार्य करने वाले को वर्कर भी मानना पड़ेगा। आज सरकार मनरेगा में एक वर्कर को वर्कर कहने से मना कर रही ह जबकि दूसरे काम करने वाले मजदूर को सरकार वर्कर मान रही है। यह सबसे खतरनाक से भी महाखतरनाक ट्रेन्ड है। आहिस्ता–आहिस्ता बहुत सारी सेवाएं योजनाओं के तहत जो सरकार ला रही है, उनमें वर्कर को स्वयं सेवक माना जा रहा है जबकि उनका टाईम फ्रेम फिक्स किया जाता है। काम तो सरकारी कर्मचारी को तरह करवाये जाते ह और मजदूरी मानदेय के रुप मे देते हैं, यह तर्कहीन और असैद्धान्तिक है।

प्रो0 के0 बी0 सक्सेना, पूर्व सचिव ग्रामीण विकास मंत्राालय, भारत सरकार ने कहा कि सरकार अपने कार्य में केवल न्यूनतम् मजदूरी अधिनियम का उल्लंघन ही नहीं कर रही है, बल्कि विभिन्न कार्यकर्ताओं में भी भेदभाव कर रही है और उनमें भी असमानता पैदा कर रही है। अभी एक नया ट्रेन्ड यह चल रहा है कि जितने भी श्रम कानून बने हैं, उनका अनुपालन शुन्य स्तर पर है, खासतौर पर प्रवासी व बंधुआ मजदूरों के कानून पर तो क्रियान्वयन

बिल्कुल नहीं हो रहा है जबकि हर राज्य सरकार मना करती है कि उनके राज्य में एक भी बंधुआ मजदूर नहीं है। पिछले 25 वर्षों में एक भी श्रम कानून पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। संघर्ष के अलावा और कोई रास्ता नही है, क्योंकि कोर्ट से मनरेगा के अन्तर्गत न्यूनतम् मजदूरी अधिनियम के सही रूप में क्रियान्वयन की आशा भी नहीं की जा सकती है और उक्त समस्यां का समाधान भी कोर्ट नहीं कर सकेगी।

श्रीमती अरूणा रॉय ने कहा कि सुपोम कोर्ट के भरोसे नहीं बैठकर, हमें आन्दोलन को तैयारी करनी चाहिए।

स्वामी अग्निवेश ने कहा कि सरकार की इस तर्कहीन, सिद्धान्तहीन, अतथ्यात्मक नीति के साथ हमें किसी भी कीमत पर समझोता नहीं करना है। हमें पूरे हिन्दुस्तान में एक समान न्यूनतम मजदूरी के कानून को लागू करवाने के लिए संघर्ष करना ही होगा। सरकार और कोर्ट हमें मजबूर कर रही ह कि हम सब सोशल एक्शन को प्रकिया को उपयोग में लें तभी समाज के अंतिम व्यक्ति को जीने के लिए न्यूनतम मजदूरी का अधिकार मिलेगा।

सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती कामायनी स्वामी ने बताया कि सरकारी योजनाओं में कार्य करने हेतू श्रमिकों की भर्ती, कार्य का तरीका और क्रियान्वयन तो सरकार के नियम व शर्तो के अनुसार ही होता है। परन्तु जब न्यूनतम् मजदूरी की बात आती है तो सरकार यह कहते हुए पल्लू झाड़ लेती है कि आप हमारे कर्मचारी नहीं, स्वयं सेवक हैं। सरकार की यह दोहरी नीति आम आदमी को मूर्ख बना कर अपना उल्लू सीधा कर रही है।

"MKSS की टीम ने गीत के माध्यम से समा बांधा"

किन्त लोकतन्त्रात्मक राज्य में यह नीति ज्यादा लम्बी चलने वाली नहीं है। हम सभी कार्यशाला के समापन के बाद अपने–अपने स्तर पर इस आन्दोलन को तेज करें।

उक्त मुद्दे पर कई प्रतिभागियों ने अपने अनुभवपूर्ण विचार व्यक्त करते हुए रिसोर्स परसन के साथ गम्भीर रूप से चर्चा की।

इस सत्र के अन्त में श्री शंकर सिंह–सामाजिक कार्यकर्ता की टीम ने सरकार द्वारा संचालित मनरेगा योजना में संविधान के हनन को गीत के रूप में प्रस्तुत करते हुए अपने विचारों को व्यक्त किया।

2.5 पंचम सत्र :

असंगठितों को संगठित करना : ट्रेड यूनियन

सामाजिक कार्यकर्ता–श्रीमती सुशीला देवी ने मनरेगा में न्यूनतम् मजदूरी अधिनियम कानून को लागू करने के सन्दर्भ में गहरी नींद में सो रही सरकार को ललकारते हुये कहा कि 30 वर्ष से इसी न्यूनतम् मजदूरी अधिनियम को लागू करने हेतू हम भिखारी को तरह निवेदन पर निवेदन करते आ रहे ह, किन्त् सरकार की आंख आज भी नहीं खुली ह। सरकार हमें ट्रेड यूनियन नहीं बनाने दे रहीं हैं, क्यों कि सरकार के कर्मचारी संख्या में कम हैं और मजदूर संख्या में करोड़ों हैं इसलिए सरकार डरती है कि कहीं करोड़ों मजदूर हम पर भारी नही पड़ जायें। परन्तु अब आन्दोलन फिर से उठेगा और मिलकर लड़ेंगें तभी सरकार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सत्य व अन्त्योदय के मार्ग की ओर ले जाया जा सकता है और गांधी जी के अन्त्योदय व सर्वोदय का सपना साकार हो सकता हैं।

'प्रथम चित्र में श्री निखिल देव अपना प्रस्ताव रखते हुए एवं दूसरे चित्र में डॉ0 नरेन्द्र जाधव–सदस्य, योजना आयोग एवं श्री के0 बी0 सक्सेना के समक्ष मुक्त बंधुआ मजदूर–केस स्टडी प्रस्तुत करते हुए''

प्रो0 श्योताज सिंह, महामंत्री–बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने पिछले 30 वषा से बंधुआ एवं बाल मजदूरों को मुक्ति व पुनर्वास के इतिहास के आधार पर असंगठित मजदूरों को संगठित करने हेतू कई रणनीतियों से युक्त सुझाव प्रस्तुत किये तथा ट्रेड यूनियन के निर्माण को ही

अंतिम उपाय बताया, ताकि श्रम के सभी कानूनों की सही अनुपालना ट्रेड यूनियन के माध्यम से करवाई जा सके।

नर्मदा बचाओ आन्दोलन की कर्णधार सुश्री मेधा पाटकर ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी का मुद्दा केवल कानून से ही नहीं बल्कि संविधान से, सामाजिक न्याय और जीवन प्रणाली से जुड़ा हुआ है। यह तो सरकार की साजिश है जो वास्तव में संगठित है, उन्हें वो असंगठित कह रही है जबकि इन्हें असुरक्षित कहा जा सकता है। सरकार सोचती है कि श्रमिकों को न्यूमतम मजदूरी मिल जाएगी तो लोग श्रमिक बनने लग जाऐंगें और कार्पोरेट्स का हाल बुरा हो जायेगा, इस बात की सरकार को चिन्ता हो रही है। सुश्री मेधा पाटकर ने प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरणों के माध्यम से बताया कि सरकार साजिश चला रहो है की श्रम करने वाला श्रमिक नहीं बने और परिश्रम नहीं करे। इसी क्रम में सुश्री मेधा पाटकर ने कहा कि सरकार की यह भी साजिश है कि श्रमिक बंधुआ मजदूर ही बना रहे। हमें ओप्टीमम वेज मूल्यों को तय करने की आवश्यकता है। जब तक गैर बराबरी को नहीं हटायेंगें तब तक बात बन नहीं पायेगी। सरकार कार्पोरेट्स के करोड़ों रूपये कर में माफ कर रही है तो श्रमिको को भी ओप्टीमम वेज में करोड़ो रूपये दिये जावें। मजदूरी केवल रोजगार गारन्टी की ही नहीं, सब जगह सभी को समान रूप से मिलनी चाहिए। देश में जहां समस्याएं है, वहां सबको मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। इस देश में अर्थ नीति, जिसकी वजह से सामाजिक दबाव, जिसकी वजह से शोषण और जिसकी वजह से हत्याएं हो रही हैं यह सब समझाने को आवश्यकता है। सरकारी कर्मचारी के लिए पे–कमीशन बैठता है तो मजदूरों के लिए भी पे–कमीशन बैठाना होगा।

कार्यशाला के सभी प्रतिभागियों ने ट्रेड यूनियन के पक्ष में अपना–अपना प्रस्ताव रखते हुए समर्थन दिया और निर्णय लिया गया कि प्रतिभागी इस कार्य को अतिशीघ्र प्रारम्भ करेंगें। न्यूनतम मजदूरी को लागू करने के लिए जो आन्दोलन चलाया जायेगा उसमें ट्रेड यूनियनं आधार का कार्य करेंगी।

इस सत्र के अन्त में सभी प्रतिभागियों ने गहन वैचारिक मंथन कर न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित करने हेतू अपने–अपने विचार रखते हुए, न्यूनतम मजदूरी को सरकार के चतुर्थ

श्रेणी के कर्मचारी के वेतन के समान होनी तय की और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को सभी जगह समान रूप से लागू करने हेतू आंदोलन प्रारम्भ करने का संकल्प लिया।